राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 100/2009/जयपुर
अपील संख्या 101/2009/जयपुर
अपील संख्या 1903/2010/जयपुर
अपील संख्या 97/2011/जयपुर
मैसर्स थाईसन क्रुप एलीवेटर्स इण्डिया)प्रा.लि.
जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स
सम्भाग–तृतीय, जयपुर प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर.सी.अग्रवाल,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 29/05/2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा उपर्युक्त चारों अपीलें उपायुक्त(अपील्स) द्वितीय एवं पंचम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा क्रमशः अपील संख्या 188, 224, 228 एवं 02/अपील–द्वितीय/आरएसटी/2007–08 एवं 2008–08/जे.पी.बी में पारित आदेश दिनांक 26.11.2008, 24.06.2010 एवं 16.12.2010 क्रमशः के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2003–04 के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.09.2007, 29.09.2007, 29.09.2008 एवं 14.09.2009 को पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया है, को यथावत रखा है।

चूँकि चारों अपीलों में निर्णय हेतु समान बिन्दु निहित है, इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ चारों पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जा रही हैं।

अपील संख्या 100/2009 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2004–05 में रू. 1,30,66,000/–के संविदा कार्य के तहत लिफ्टस एवं ऐलीवेटर्स की स्थापना की गई है जिसको आटोमेटिक Automatic Exemption/under

taking के अन्तर्गत घोषित किया है,जिसको साक्ष्यों के अभाव में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स (इण्डिया) लिमिटैड (140 एस टी सी) 22) में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2005 में प्रतिपादित मत के अनुसार साक्ष्यों के अभाव में भूतलक्षी प्रभाव से (Retrospective) से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील को अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2008 को पारित किया है।

अपील संख्या 101/2009 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य वर्ष 2004–05 के प्रथम तीन तिमाही के बिक्री विवरण पत्र दिनांक 31.03.2005 को एवं चतुर्थ तिमाही का बिक्री प्रपत्र दिनांक 19.05.2005 को प्रस्तुत किये गये है, जो 244, 152, 60 एवं 19 दिनों क्रमशः के विलम्ब से प्रस्तुत किये गये, जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी ने कुल विलम्ब अवधि 475 दिवस के लिए 10/–प्रति दिन के हिसाब से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत रू. 4750/–शास्ति आरोपित की है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वार्षिक बिक्री प्रपत्र एस टी 5ए के साथ प्रस्तुत व्यापार खाते में राशि रू. 2,98,885/–की बिक्री दर्शायी है,जिसमें से रू. 1,30,55,000/–की राशि संविदा कार्य के पेटे प्राप्त करना घोषित किया है, जिसमें लिफ्ट/एलीवेटर्स की सप्लाई किया जाना बताया गया है। सशक्त अधिकारी ने लिफ्ट में प्रयुक्त समस्त सामग्री राज्य के बाहर से कम्पनी के मुख्यालय से मंगवाया गया है, इसलिए माननीय उच्चतम न्ययालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स (इण्डिया) लिमिटैड (140 एस टी सी) 22) में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2005 में प्रतिपादित मत के अनुसार आलोच्य अवधि में लिफ्ट की बिक्री से प्राप्त सम्पूर्ण राशि को लिफ्ट व स्पेयर्स पार्ट्स की बिक्री राशि मानते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा उस पर 12 प्रतिशत से कर व 15 प्रतिशत की दर से सरचार्ज आरोपणीय मानकर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति, कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2008 पारित किया ।

अपील संख्या 1903/2010 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलोच्य अवधि वर्ष 2005–06 के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सकल विक्रय रू. 3,11,82,000/–का घोषित किया गया, जो लिफ्ट से सम्बन्धित है। अपीलार्थी द्वारा समस्त विक्रय पर संकर्म संविदा (वर्क्स कान्ट्रेक्ट) के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक ए.4(12)एफडी/टैक्स/2001–25 दिनांक 29.03.2001 के अन्तर्गत 3 प्रतिशत की दर कर देयता दर्शाई है, किन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा लिफ्ट लगाने के प्रतिफल के रूप में प्राप्त राशि को आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स (इण्डिया) लिमिटैड (140 एस टी सी) 22) में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2005 में प्रतिपादित मत के आधार पर कार्य संविदा के स्थान पर बिक्री मानकर उस पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया और कर को अदेय मानकर ब्याज आरोपित किया

गया तथा अधिनियम की धरा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गई । उक्त प्रकार से आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने लिफ्ट लगाने के कार्य को बिक्री की श्रेणी में मानते हुए लिफ्ट की बिक्री से प्राप्त राशि पर 14 प्रतिशत से किये गये करारोपण, ब्याज एवं शास्ति को उचित ठहराते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2010 पारित किया।

अपील संख्या 97/2011 के संक्षेप में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2003–04 का मूल कर निर्धारण अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत पारित किया जाकर लिफ्ट लगाने को संकर्म संविदा मानकर सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 02.03.2006 को पारित किया गया। आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स (इण्डिया) लिमिटैड (140 एस टी सी) 22) में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2005 में प्रतिपादित मत के अनुसरण में सशक्त अधिकारी द्वारा लिफ्ट की बिक्री मानकर मूल कर निर्धारण को खोल कर अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 07.06.2007 पारित किया जाकर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई । सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 07.06.2007 से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रश्न उठाया गया कि सशक्त अधिकारी द्वारा उन्हें लिफ्ट को बिक्री मानकर मांग सृजित किये जाने का अधिकार नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत की गई अपील को यह निर्देश देते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया है कि सशक्त अधिकारी आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स (इण्डिया) लिमिटैड (140 एस टी सी) 22) में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2005 में दिये गये निर्णय के अनुसार प्रकरण के तथ्यों, अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों का ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में सशक्त अधिकारी ने दिनांक 14.09.2009 को आदेश पारित करते हुए कर,ब्याज एवं शास्ति का पुनः आरोपण कर दिया, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स (इण्डिया) लिमिटैड (140 एस टी सी) 22) में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2005 से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः आच्छादित मानते हुए लिफ्ट की सप्लाई, सस्थापन एवं प्रतिस्थापन का जो कार्य किया गया है वह कार्य संविदा की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि स्पष्ट रूप लिफ्ट का संव्यवहार बिक्री की श्रेणी मानते हुए अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2010 पारित किया ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स (इण्डिया) लिमिटैड (71 वी एस टी–1(एससी)) में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2014 के प्रकरण में दिये गये निर्णय को उद्धृत करते हुए कथन किया कि उक्त निर्णय का सही रूप से निर्वचन एवं विचार नहीं किया गया है। उनका कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा उक्त प्रकरण में आन्ध्र प्रदेश राज्य के बिक्री कर अधिनियम की अन्तर्गत परिभाषित संकर्म संविदा की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। उनका कथन है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य से सम्बन्धित प्रकरण में लिफ्ट को स्थापित किये जाने के कार्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विक्रय माना है, जो आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स (इण्डिया) लिमिटैड में दिया गया निर्णय राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत संकर्म संविदा की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होता है। उनका कथन है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत संकर्म संविदा की जो परिभाषा दी गई है उसके परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स (इण्डिया) लिमिटैड के प्रकरण में दिये गये निर्णय के बावजूद भी लिफ्ट स्थापित करने का कार्य 'संकर्म संविदा' की श्रेणी में आता है ना कि बिक्री की श्रेणी में । उनका यह भी कथन है कि एलीवेटर (लिफ्ट) का स्थापित करने का कार्य विशेषज्ञ इन्जीनियरों द्वारा किया जाता है, जो सिविल वर्क है, इसलिए एलीवेटर को स्थापित किया जाना कार्य संविदा की श्रेणी में आता है ना कि बिक्री की श्रेणी में । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1240/2014/जयपुर निर्णय दिनांक 20.01.2017 जो कि अपीलार्थी के ही प्रकरण में ही पारित किया गया है, जिसमें स्पष्ट से अवधारित किया गया है कि लिफ्ट की स्थापना का कार्य संकर्म संविदा माना गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने स्वीकृत लाभ को भूतलक्षी प्रभाव से एवं क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया साथ ही माननीय उच्चतम न्ययालय द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स (इण्डिया) लिमिटैड (71 वी एस टी–1(एससी)) में पारित निर्णय दिनांक 06.05.2014 के प्रकरण में पारित निर्णय का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में निर्णय हेतु मुख्य विवादित यह है कि "लिफ्ट की सप्लाई,संस्थापन एवं प्रतिस्थापन का कार्य संकर्म संविदा है अथवा बिक्री", इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.05.2014 के अनुसरण में माननीय कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1240/2014/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017, जो कि अपीलार्थी के ही प्रकरण में ही पारित किया गया है, जिसमें स्पष्ट से अवधारित किया गया है कि लिफ्ट की स्थापना का कार्य संकर्म संविदा है, जिसका पैरा संख्या 7. निम्न प्रकार है :–

" माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम कोन ऐलीवेटर्स के उक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निरस्त करते हुए दिनांक 06.05.2014 (2014) 71 VST 1(SC) में निम्न प्रकार निर्णय दिया है :–

(i) "A contract for manufacture, supply and installation of lift is a works contract and not a contract for sale.

(ii) A lift has to be understood in the conceptual contest of the manufacture and installation of a lift in a building. The lift basically comprises components like the car, motors, ropis, rails, etc., having their own identity even prior to installation. Without installation, the lift cannot be mechanically functional because it is a permanent fixture of the building having been so designed. Therefore, the installation of a lift in a building cannot be regarded as a transfer of a chattel or goods but a composite contract.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब इसी बिन्दु पर ही विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए लिफ्ट की स्थापना कार्य को संकर्म संविदा माना जा चुका है अतः सशक्त अधिकारी का अपीलाधीन आदेश उक्तानुसार अपास्त किया जाता है एवं लिफ्ट की स्थापना का कार्य संकर्म संविदा का माना जाता है।"

राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1240/2014 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 के तथ्यों से हस्तगत प्रकरण के तथ्य पूर्णतया आच्छादित है, अतः यह पीठ उक्त निर्णय से सहमत है। फलतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत चारों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष